रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

फा. सं. 8/6/2013 – निवेश.—राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क संबंधी 27 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 8/6/2013 के खंड 14(i)(ग) में यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति असांविधिक प्रमाणन एजेंसियों के प्रत्यायन मापदंड तैयार/अनुमोदित करेगी।

राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति ने निर्णय किया है कि राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क की अधिसूचना से पहले, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित और उक्त सरकार के सीधे पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य कर रही निम्नलिखित सांविधिक-भिन्न प्रमाणन एजेंसियां एतद्द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति द्वारा अनुमोदित मानी जाएंगी :

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2. राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
3. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्
4. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदें

यह अनुमोदन राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना में यथानिर्धारित तीन वर्ष के भीतर इन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क अपना लिए जाने के अध्यधीन है।

प्रभात कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2014

F. No. 8/6/2013-Investment.—Clause 14 (i) (c) of Notification No. 8/6/2013 dated 27th December, 2013 on the National Skills Qualifications Framework (NSQF) requires that the National Skills Qualifications Committee (NSQC) shall develop/approve the accreditation norms for non-statutory certifications agencies.

Following non-statutory certification agencies set up prior to the notification of the NSQF, by the Government of India or any State Government, and functioning under the direct supervision and control of the following, are hereby deemed to be approved by the National Skills Qualifications Committee (NSQC) :

1. Central Board of Secondary Education
2. State Boards for Secondary Education
3. National Council for Vocational Training
4. State Councils for Vocational Training

This approval is subject to the transition of these agencies to the NSQF within three years as laid down in the notification for implementation of the NSQF.

PRABHAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.